

समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com /dwo.seraikella@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक-317 / आई0टी0डी0ए0

जिला कल्याण पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/संस्था प्रधान/प्रधानाध्यापक
सरायकेला-खरसावाँ।

सरायकेला, दिनांक-13.2.2023

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत ई-कल्याण पोर्टल पर AA_Level पर स्वीकृत किये गये छात्र-छात्राओं द्वारा बैंक खाता को आधार के साथ मैपिंग करने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक-1087/आई0टी0डी0ए0, दिनांक-16.11.2021, पत्रांक-1221, दिनांक-08.12.2021, पत्रांक-521, दिनांक-22.03.2022, पत्रांक-942, दिनांक-04.07.2022, पत्रांक-1272, दिनांक-22.08.2022 एवं पत्रांक-1423, दिनांक-12.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में कार्यालय द्वारा AA_Level से Approval किया गया है, परन्तु वर्ष 2020-21 में कुल-384 एवं 2021-22 के कुल-704 छात्र-छात्राओं का बैंक खाता संख्या आधार सं0 के साथ NPCI में Link inactive हो जाने के कारण छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि का DBT के द्वारा PFMS के माध्यम से भुगतान नहीं हो पा रहा है। कार्यालय द्वारा Email के माध्यम से पत्र के साथ सूची संलग्न कर सम्बन्धित संस्थानों/महाविद्यालयों को भेजी गयी थी, परन्तु बार-बार स्मार पत्र देने के उपरान्त अब तक छात्र-छात्राओं का NPCI में Link inactive को Active अब तक नहीं कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने कॉलेज/शिक्षण संस्थानों के 2020-21 एवं 2021-22 में अध्ययनरत् छात्रों की सूची इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर भेजते हुए कहना है कि अपने स्तर से छात्र-छात्राओं का बैंक खाता को आधार के साथ NPCI में Mapping कराते हुए आधार Active कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि सम्बन्धित छात्रों की निकासी की गयी राशि DBT के माध्यम से राशि का भुगतान अविलंब किया जा सके, राशि भुगतान नहीं होने के स्थिति में विभाग को राशि वापस किये जाने पर इसकी सारी जवाबदेही कॉलेज/शिक्षण संस्थानों की होगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

1312
जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।
11/02/23